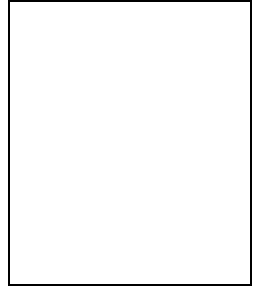


आवेदन फार्म



पंजीयन क्र.....दिनांक.....ग्रुप क्र.....

बेरोजगार राजमिस्त्री सिविल (मेसन ट्रेड) को रोजगार प्रदाय करने के लिए पंजीयन आवेदन।

मैं.....पिता/पति श्री.....

जाति— (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य) उम्र.....

निवासी/वार्ड/मोहल्ला/ग्राम/शहर.....

फोन नं.....थाना.....तहसील.....जिला.....

.....छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। मेरा स्थायी पता.....

.....है। मैंने वर्ष.....मे

.....संस्थान से राजमिस्त्री सिविल (मेसन ट्रेड) की परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है।

मैं किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय संस्था में कार्यरत नहीं हूँ। मैं लोक निर्माण विभाग में शासन के निहित शर्तों के अनुरूप निविदा पद्धति से कार्य करने का/की इच्छुक हूँ अतः पंजीयन कराना चाहता/चाहती हूँ।

मैं विभाग में निम्नांकित किसी एक क्षेत्र (ग्रुप) क्र.....जिला

.....में कार्य करना चाहता/चाहती हूँ।

ग्रुप का नाम :-

- (A) जिला – दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर, कोण्डागांव, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा।
- (B) जिला – राजनांदगांव, कवर्धा, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा।
- (C) जिला – रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार।
- (D) जिला – जशपुर, कोरिया, अंबिकापुर, बलरामपुर, सूरजपुर।
- (E) जिला – बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, कोरबा, मुंगेली, रायगढ़।

मैं अपने आवेदन की पुष्टि में छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य) पंजीयन शुल्क, बेरोजगार होने का स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र देना होगा की वे किसी शासकीय या अर्द्धशासकीय अथवा गैर शासकीय संस्थानों में सेवारत नहीं है।

आवेदक का नाम

हस्ताक्षर

// स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र //

मैं किसी शासकीय या अर्द्धशासकीय व गैर शासकीय संस्थानों में सेवारत नहीं हूँ। मेरे द्वारा प्रस्तुत उक्त जानकारी एवं संलग्न समस्त दस्तावेज मेरे स्वज्ञान से सही है। किसी भी जांच में असत्य पाये जाने पर विभाग द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक का नाम

हस्ताक्षर

// राजमिस्त्री सिविल (मेसन ट्रेड) में पंजीयन कराने हेतु दस्तावेज की जानकारी //

1. राजमिस्त्री सिविल (मेसन ट्रेड) में उत्तीर्ण की अंकसूची ।
2. मेसन ट्रेड में आई.टी.आई, स्किल डेव्लपमेंट इनिशिएटिव योजना, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, पंजीकृत प्रशिक्षित राजमिस्त्री संघ, प्रशिक्षित राजमिस्त्री स्वसहायता समूह, सेक्टर स्किल काउन्सिल का प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट) प्राप्त होने के वर्ष को छोड़कर 5 वर्षों में प्राप्त प्रमाण पत्र ।
3. आठवी कक्षा उत्तीर्ण की अंकसूची ।
4. छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र ।
5. जाति प्रमाण पत्र, यदि आवश्यक हो तो (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु)
6. छत्तीसगढ़ रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र ।
7. किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय संस्था/निकाय में कार्य नहीं करने के संबंध में स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र ।
8. आवेदक का पहचान एवं निवास स्थान का प्रमाण पत्र (बिजली बिल, राशन कार्ड, पहचान पत्र)
9. उक्त समस्त अभिलेखों की छायाप्रति स्वप्रमाणित कर प्रस्तुत करें ।
10. दो कलर फोटो एक आवेदन के साथ स्वप्रमाणित करवाकर एक अलग से प्रस्तुत करें ।